न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2026

स्टेट जरिये मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़

––प्रार्थी

बनाम

श्री पवन कुमार पुत्र श्री ताराचन्द पवन मिष्ठान भण्डार गांव रतनपुरा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.
2 अजमत उल्ला अभिभाषक अप्रार्थी।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णयः–

दिनांकः –12.05.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2026 को श्री मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक व श्री पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गेस के व्यवसायिक उपयोग/कालाबाजारी की जांच बाबत पवन मिष्ठान भण्डार, गांव रतनपुरा तहसील संगरिया पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री पवन कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जाति छिम्पा निवासी गांव रतनपुरा तहसील संगरिया ने स्वयं को उक्त दुकान का कार्यकर्ता बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये। पूछताछ में श्री पवन कुमार ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठान में मिठाई बनाने व बेचने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार द्वारा वक्त मौका कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर पाया गये आईओसीएल कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री सुभाषचन्द्र जाति बड़भोजा कार्मिक प्रिया श्री गैस एजेन्सी रतनपुरा संगरिया की सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने व विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किये कि अप्रार्थी ने उपरोक्त सिलेण्डर अपने घर से रिफलिंग करवाने के कलिए लेकर आया था। प्रार्थी के पास अतिरिक्त सिलेण्डर नहीं है। प्रार्थी के उक्त सिलेण्डर जब्त होने के कारण प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांच टीम द्वारा जब्त किये गये सिलेडर जब्त/राजसात न किये जाकर प्रार्थी को वापस दिये जावे। प्रार्थी नाकर्दा जर्म है। प्रार्थी किसी प्रकार के अवैध भण्डारण या कालाबाजारी के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

तहत उक्त सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं किया है। प्रार्थी ने गैस एजेंसी से अपनी कॉपी पर उक्त सिलेण्डर लिये थे। इससे पूर्व ऐसा कोई मामला जैरकार नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जाकर प्रार्थी के सिलेण्डर राजसात न किये जाकर प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने दोरान बहस कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर इण्डैन गैस के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3(1)(ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डैन गैस का 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डैन गैस कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर(गैस की मात्रा 1. 200 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ